



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 1309 दि. 01.01.18


आदेश

**विषय:-** कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की अवधि बढ़ाने बाबत।

कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत रूप से बढ़े हुये भार को नियमित करने हेतु आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.-सी.)/फा /प्रे. 736 दिनांक 30.08.2017 (वाणिज्य जोधपुर डिस्कॉम-813) द्वारा "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" प्रसारित की गई थी। यह योजना दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक प्रभावी थी।

इस विषय पर विचार-विमर्श कर इस योजना को दिनांक 31.01.2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना की सभी शर्तें पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही रहेंगी। इसकी सूचना/जानकारी उपभोक्ता को भी दे दी जावें।

आज्ञा से

  
(एम. आर. मीणा) 01/01/18

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर